



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082020-221171
CG-DL-E-17082020-221171

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402]
No. 402]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2020/श्रावण 26, 1942
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2020/SHRAVANA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 508(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खंड (23चड) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (20 वें संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आयकर नियम, 1962,--

(i) नियम 2घक के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“2घख- पेंशन निधि द्वारा पूरा किए जाने के लिए अन्य शर्तें.—धारा 10 के खंड (23चड) के प्रयोजन के लिए पेंशन निधि में निम्नलिखित अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए अपेक्षा की जाएगी, अर्थात् :--

- (i) यह किसी विदेशी निधि के अधीन, जिसके अंतर्गत ऐसी विधियां भी हैं, जो किसी प्रांत, राज्य या स्थानीय निकाय, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो, जिसके अधीन, यथास्थिति, यह सृजित या स्थापित है, उसके राजनैतिक घटकों के लिए बनाए गए हों ;
- (ii) यह, यथास्थिति, ऐसी निधियों या योजनाओं के भागीदारों या हितग्राहियों से सेवानिवृत्त सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, निःशक्तता, मरणोत्तर प्रसुविधाएं या अन्य समरूप प्रतिकर उपबंध करने के लिए स्थापित एक या अधिक निधियों या योजनाओं के कानूनी बाध्यताओं और परिभाषित अभिदायों को पूरा करने के लिए आस्तियों के प्रशासन या विनिधान के लिए उत्तरदायी है ;
- (iii) पेंशन निधि के अर्जनों और आस्तियों का उपयोग केवल कानूनी बाध्यताओं को चुकाने के लिए और निधियों या खंड (ii) में निर्दिष्ट योजनाओं के सहभागियों या फायदाग्राहियों के परिभाषित अंशदायों को चुकाने के लिए किया जाता है तथा पेंशन निधि के अर्जनों या आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति को कोई फायदा उपगत नहीं करेगा ;
- (iv) वह भारत या भारत से बाहर कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप हाथ में नहीं लेगा ;
- (v) वह भारत में तिमाही के दौरान किए गए विनिधानों के संबंध में ब्यौरों से तिमाही के अंत से एक मास के भीतर प्ररूप सं. 10खख में संसूचित करेगा ;
- (vi) वह धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पूर्व आय-कर की विवरणी फाइल करेगा तथा ऐसी विवरणी के साथ वित्त वर्ष के दौरान धारा 10 के खंड 23चड के उपबंधों की अनुपालना के संबंध में धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल से प्ररूप सं. 10खख में एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

2घग. धारा 10 के खंड 23चड के अधीन अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देश.—(1) धारा 10 के खंड 23चड के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (iv) के अधीन अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए पेंशन निधि प्ररूप सं. 10खख में निम्नलिखित को एक आवेदन करेगी, उसके साथ निम्नलिखित के संबंध में सुसंगत दस्तावेज और साक्ष्य संलग्न करेगी,--

- (i) वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सदस्य (विधान), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ;
- (ii) अन्य वित्त वर्षों के दौरान, विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग के कार्य का अधीक्षण और नियंत्रण रखने वाला सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

(2) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप सं. 10खख और प्ररूप सं. 10खख प्रस्तुत करने और सत्यापित करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर, मानक और प्रक्रिया अधिकथित करेगा तथा वह इस उपनियम के अधीन यथा प्रस्तुत उक्त प्रारूपों के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखी और पुनः प्राप्ति नीतियों की विरचना करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।”;

(ii) परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं. 10खख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“प्ररूप सं. 10खख

[देखें नियम 2घगक, उपनियम (1)]

**आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 23चड के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (iv) के अधीन अधिसूचना के लिए आवेदन
(पेंशन निधि)**

सेवा में,

सदस्य (विधान), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान आवेदन के लिए) **/ सदस्य (विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग पर नियंत्रण रखने वाला) (अन्य वित्त वर्ष के दौरान आवेदन के लिए) **

महोदया/महोदय,

आवेदक एक पेंशन निधि है और आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड) के निबंधनों में विनिधान करने का इच्छुक है, अतः इसलिए यह अनुरोध है कि आवश्यक अधिसूचना जारी की जाए, जिसके ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :--

(क) पेंशन निधि का नाम

(ख) पेंशन निधि का पता

- (ग) निवास के देश की कर पहचान संख्या
 (घ) निवास का देश
 (ङ) स्थायी लेखा संख्या (पैन)

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि,--

(क) (कृपया विदेश के नाम का वर्णन करें, जिसके अंतर्गत उसके किन्हीं राजनीतिक घटकों जैसे प्रदेश/राज्य/स्थानीय निकाय आदि सम्मिलित हैं) की विधि के अधीन सृजित या स्थापित और उस विधि के अधीन विनियमित पेंशन निधि ;

(ख) ऊपर (क) में वर्णित विदेश में कर से दायी नहीं है ;

(ग) पेंशन निधि कानूनी बाध्यताओं को चुकाने के लिए आस्तियों का प्रशासन करने और एक या अधिक निधियों या सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, नियोजन, निःशक्तता, मृत्यु फायदों या इसी प्रकार के समान प्रतिकर का, यथास्थिति, ऐसी निधियों या योजनाओं के सहभागियों या फायदाग्राहियों को उपबंध करने के लिए परिभाषित अंशदायों के लिए उत्तरदायी होगा ;

(घ) पेंशन निधि के अर्जनों और आस्तियों का उपयोग केवल कानूनी बाध्यताओं और ऊपर (ग) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के सहभागियों या फायदाग्राहियों के लिए परिभाषित अंशदायों को चुकाने के लिए किया जाएगा तथा पेंशन निधि के अर्जनों या आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य प्राइवेट व्यक्ति के लिए किसी फायदे के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा ; और

(ङ) पेंशन निधि वह भारत या भारत से बाहर कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप हाथ में नहीं लेता है ।

3. पूर्व किए गए दावों के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज उपाबद्ध हैं :

(क) पेंशन निधि का गठन करने वाले दस्तावेज और उनमें पश्चातवर्ती संशोधन, और

(ख) कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज या सूचना ।

सत्यापन*

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी** श्री सत्यनिष्ठा से घोषित करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन और उपाबंधों और दस्तावेजों, यदि कोई हों, जो इसके साथ हैं, मैं दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा उसमें दी गई विशिष्टियों का सही कथन किया गया है ।

2. मैं, यह और घोषित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार ; मैंने कोई तथ्य या सूचना को नहीं छिपाया है, जो इस आवेदन से सुसंगत हो सकती है ।

3. मैं, यह भी घोषित करता हूँ कि मैं यह आवेदन की क्षमता (पदनाम) में कर रहा हूँ और मेरा पैन/आधार** नंबर हैं तथा मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ और मैं इसका सत्यापन करता हूँ ।

तारीख को सत्यापित ।

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

टिप्पण :- 1.** जो लागू न हो उसको काट दें ।

2. *आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अधीन आय-कर की विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं ।

प्ररूप सं. 10खखख*

[देखें नियम 2घख]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 23चड के अधीन विनिधान करने के लिए पेंशन निधि द्वारा संसूचना (वित्तीय वर्ष के 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही से एक मास के भीतर)

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

.....

.....

महोदया/महोदय,

वित्त वर्ष को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए के संबंध में (पेंशन निधि का नाम), जिसकी पैन संख्या है और जिसे आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 23चड के अधीन अधिसूचना सं. तारीख (दिन/मास/वर्ष) द्वारा नीचे दिए अनुसार अधिसूचित किया गया है, के विनिधान के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करने वाला विवरण संलग्न है:

क्रम सं.	तारीख	रकम	प्रकृति [ऋण/ अंशदायी पूंजी (साम्या/ अधिमानी)/ यूनिट]	लाभांश की दर, यदि कोई हो (अधिमानी शेयर/यूनिट)/ ब्याज (ऋण)	उस अस्तित्व के ब्यौरे, जिसमें विनिधान किया गया है		
					कारबार न्यास/ कंपनी या उपक्रम या अस्तित्व/ वैकल्पिक विनिधान निधि	नाम	पैन
योग							

सत्यापन*

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी** श्री सत्यनिष्ठा से घोषित करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन और उपाबंधों और दस्तावेजों, यदि कोई हों, जो इसके साथ हैं, मैं दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा उसमें दी गई विशिष्टियों का सही कथन किया गया है।

2. मैं, यह और घोषित करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार ; मैंने कोई तथ्य या सूचना को नहीं छिपाया है, जो इस आवेदन से सुसंगत हो सकती है।

3. मैं, यह भी घोषित करता हूं कि मैं यह आवेदन की क्षमता (पदनाम) में कर रहा हूं और मेरा पैन/आधार** नंबर हैं तथा मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूं और मैं इसका सत्यापन करता हूं।

तारीख को सत्यापित।

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

टिप्पण :- 1. ** जो लागू न हो उसको काट दें।

2. *आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अधीन आय-कर की विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

प्ररूप सं. 10 खखग

[नियम घख 10 देखें]

अधिसूचित पेंशन निधि द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 23 च ड के अधीन उपबंधों के अनुपालन के संबंध में लेखाकार का प्रमाणपत्र

मैं/हम* यह संपुष्ट करते हैं कि ----- (पेंशन विधि का नाम), जिसकी पैन संख्या ---- है और जो अधिसूचना सं. ---- तारीख ----- (तारीख/मास/वर्ष) द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23 च ड) अधीन ----- (तारीख/मास/वर्ष) से ----- तक (तारीख/मास/वर्ष) की अवधि के लिए अधिसूचित की गई है, के सुसंगत लेखों, दस्तावेजों और अभिलेखों का परीक्षण कर लिया है, और परीक्षण के पश्चात्, यह सत्यापित किया जाता है कि :

- (i) (i) किए गए विनिधान का अथ शेष (अर्थात् पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को अंत शेष) जो धारा 10 के खंड (23 च ड) के अधीन ----- (रु.) छूट के लिए पात्र है और इस अवधि के दौरान पेंशन निधि द्वारा विनिधान के ब्यौरे निम्नानुसार है :

क्र. सं.	तारीख	रकम	प्रकृति [ऋण/शेयर पूंजी साम्या/अधिमानी]/यूनिट	लाभांश की दर, यदि कोई हो, (अधिमानी शेयर/यूनिट)/ब्याज (ऋण)	उस अस्तित्व के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया		
					कारबार – कंपनी या उपक्रम या अस्तित्व/वैकल्पिक विनिधान विधि	नाम	पैन सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
योग							

- (ii) उस तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पूर्व, जिसको उक्त छूट के संबंध में विनिधान किया गया था, आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 च ड) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए गए किन्हीं विनिधानों को पेंशन निधि ने विक्रय नहीं किया है/उस तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पूर्व, जिसको उक्त छूट के संबंध में विनिधान किया गया था, आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23 च ड) के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए गए किन्हीं विनिधानों को पेंशन निधि ने विक्रय किया है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है :

क्र. सं.	तारीख	रकम	प्रकृति [ऋण/शेयर पूंजी साम्या/अधिमानी]/यूनिट	लाभांश की दर, यदि कोई हो, (अधिमानी शेयर/यूनिट)/ब्याज (ऋण)	उस अस्तित्व के ब्यौरे जिसमें विनिधान किया गया		
					कारबार – कंपनी या उपक्रम या अस्तित्व/वैकल्पिक विनिधान विधि	नाम	पैन सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							

योग							

(iii) पेंशन निधि, आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23च ड) के अधीन छूट के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सभी शर्तों को पूर्ण करती है, अर्थात :-

- (क) इसका सृजन या गठन ----- की विधि के अधीन किया गया है (कृपया उस विदेशी देश का नाम वर्णित करें, जिसके अंतर्गत उसके कोई राजनैतिक हिस्से जैसे प्रांत/राज्य/स्थानीय निकाय आदि भी है, और इसका विनियमन उसे विधि के अधीन किया जाता है ;
- (ख) यह ऐसे विदेशी देश में कर की दायी नहीं है ;
- (ग) यह कानूनी बाध्यताओं और, यथास्थिति, ऐसी निधियों या योजनाओं के भागीदारों अथवा फायदाग्राहियों को सेवानिवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा, नियोजन, निःशक्तता, मृत्यु लाभ या समान क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए गठित एक या अधिक निधियों या योजनाओं के परिभाषित अभिदायों को पूर्ण करने हेतु आस्तियों के प्रशासन या विनिधान के लिए उत्तरदायी है ;
- (घ) इसकी आय और आस्तियां खंड (ii) में निर्दिष्ट निधियों या योजनाओं के भागीदारों अथवा फायदाग्राहियों की कानूनी बाध्यताओं तथा परिभाषित अभिदायों को पूर्ण करने के लिए उपयोग की जाती हैं तथा पेंशन निधि की आयों या आस्तियों का कोई भाग किसी अन्य निजी व्यक्ति को कोई फायदा लागू नहीं करता है ;
- (ङ) यह कोई वाणिज्यिक क्रियाकलाप नहीं करती है चाहे भारत के भीतर हो या बाहर ; और
- (च) इसने प्ररूप सं. 10 ख ख ख में भारत में इसके द्वारा किए गए विनिधान के व्यौरों को सूचित करने की अपेक्षा का अनुपालन किया है ।

सत्यापन†

यह सुनिश्चित किया गया है कि दी गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है तथा किसी सुसंगत जानकारी को छिपाया या रोका नहीं गया है ।

- ना तो मैं ना ही मेरा कोई भागीदार ऊपर वर्णित अस्तित्वों या उसके सहबद्ध उपक्रमों के निदेशक, भागीदार या कर्मचारी नहीं हूँ ।
- मैं/हम* पूर्णतः यह समझते हैं कि इस प्रमाणपत्र में किया गया कोई कथन, यदि असत्य या मिथ्या पाया जाता है, तो विधि में विहित या अन्यथा अपेक्षित किसी दायित्व या अन्य परिणामों के लिए मुझे / हमें* दायी माना जाएगा।

आज तारीख ----- को सत्यापित

स्थान -----

(हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और स्टांप/सील)

†लेखाकार ----

हस्ताक्षरकर्ता का नाम-----

सदस्यता सं. ----

पूर्ण पता -----

टिप्पण : 1. जो लागू न हो उसे काट दें ।

- †यह प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखाकार द्वारा दिया जाना है ।”

[अधिसूचना सं. 67/2020/फा. सं. 370142/28/2020-टी पी एल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 499(अ) तारीख 10 अगस्त, 2020 द्वारा उनमें अंतिम संशोधन किया गया।